

Attachement 2.23

वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में नारायणबगड़-चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे० वन पंचायत, कुल 1.583 हे०
वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि
पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वन अधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन सहायक अधिकारी
विष्णु शिखर राज
नारायणबगड़

अधिशारी अभियन्ता
आर. रासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोमिनिवि०
चमोली (चमोली)
असली (चमोली)